भारत, पाकिस्तान और सिन्धु

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर- II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)

विश्व बैंक द्वारा समर्थित 1960 सिंधु जल संधि (IWT), भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक सीमा पार जल-बंटवारा तंत्र है, लेकिन इस पर असहमति बनी रहती है। एक अभूतपूर्व कदम में, भारत ने विवाद समाधान प्रक्रिया से असंतोष के कारण पिछले साल समझौते में संशोधन का आह्वान किया था। इसने संधि को लागू करने में पाकिस्तान की निरंतर "हठधर्मिता" को जिम्मेदार ठहराया - विशेष रूप से इसके भौतिक उल्लंघन को। पाकिस्तान ने संधि-अनुपालक तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही को दरकिनार करते हुए, भारत की किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं पर अपने मतभेदों और आपत्तियों के समाधान के लिए हेग में मध्यस्थता की मांग की।

भारत सिंधु जल संधि में संशोधन क्यों चाहता है?

- **विवाद समाधान:** भारत वर्तमान विवाद समाधान प्रक्रिया से असंतुष्ट है तथा उसने पाकिस्तान की प्रभावी रूप से इसमें शामिल होने की अनिच्छा की ओर इशारा किया है, जिसके कारण मुद्दे अनसुलझे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव:** सिंधु बेसिन, जिसे नासा ने 2015 में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक तनावग्रस्त जलभृत माना था, जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित है। नदी का लगभग 31% प्रवाह ग्लेशियरों और पिघली हुई बर्फ से आता है, जो लगातार अस्थिर होते जा रहे हैं।
- **जलविद्युत परियोजनाएँ:** किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं जैसे विवाद तीव्र हो गए हैं, तथा पाकिस्तान संधि-अनुरूप कार्यवाही को दरकिनार करते हुए हेग में मध्यस्थता की मांग कर रहा है।

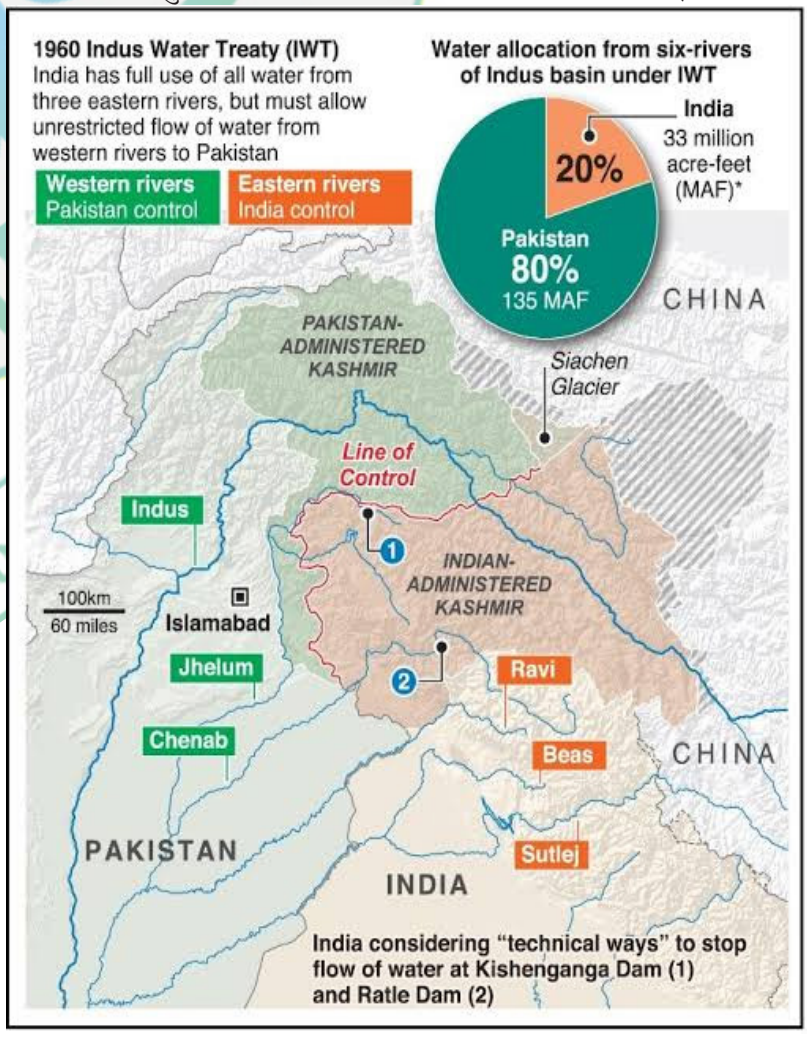

पाकिस्तान ने कौन से मुद्दे उठाए हैं?

- **जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद:** पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है और हेग में मध्यस्थता के लिए संधि-अनुपालन तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही को दरकिनार कर दिया है।

- **निचले तटवर्ती क्षेत्र की चिंताएं:** निचले तटवर्ती क्षेत्र वाला देश होने के नाते पाकिस्तान को डर है कि बुनियादी ढांचे के विकास से निचले तटवर्ती क्षेत्र में प्रवाह कम हो जाएगा।
- **"जल आतंकवाद" के आरोप:** पाकिस्तान ने शाहपुरकंडी बैराज परियोजना के लिए भारत पर "जल आतंकवाद" का आरोप लगाया, जबकि परियोजना सिंधु जल संधि का अनुपालन करती है।
- **पर्यावरणीय प्रवाह संबंधी मुद्दे:** पाकिस्तान पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने पर जोर देता है, जिसका समर्थन 2013 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले से होता है जिसमें भारत को किशनगंगा परियोजना के नीचे प्रवाह जारी रखने का दायित्व सौंपा गया था।

क्या किया जाए?

- **पारिस्थितिक दृष्टिकोण को एकीकृत करें:** पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय प्रवाह (ईएफ) को शामिल करें, जैसा कि ब्रिस्बेन घोषणा और किशनगंगा पर 2013 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले में सुझाया गया है।
- **डेटा-साझाकरण को बढ़ावा देना:** जल की गुणवत्ता और प्रवाह में परिवर्तन की निगरानी के लिए विश्व बैंक की देखरेख में कानूनी रूप से बाध्यकारी डेटा-साझाकरण ढांचा स्थापित करना, तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों को अपनाना:** स्थायी जल उपयोग के लिए संधि प्रावधानों को 1997 के संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन और जल संसाधनों पर 2004 के बर्लिन नियमों के साथ संरेखित करना।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचानें:** नासा द्वारा सिंधु बेसिन को विश्व का दूसरा सर्वाधिक तनावग्रस्त जलभृत बताए जाने को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करें।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में यह संधि हुई।
2. इसे नासा ने 2015 में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक तनावग्रस्त जलभृत माना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of Indus Water Treaty-

1. This treaty was signed between India and Pakistan in 1960.
2. NASA considered it to be the second most stressed aquifer in the world in 2015.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्न: सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। भारत इस संधि में क्यों संशोधन चाहता है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में इस संधि को लेकर मौजूद भारत की आपत्तियों की चर्चा कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।